

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

-विज्ञप्ति-

राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षको एवं छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षको के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन हेतु
वॉक-इन-इन्टरव्यू

माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन बौद्ध एवं पारसी) के बालक-बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करा कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये "राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय" इसी सत्र 2022-23 से प्रारंभ किये जा रहे हैं।


इन आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में शिक्षको व छात्रावास अधीक्षको एवं कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायक के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन हेतु राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक, शिक्षिकाओं, वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक एवं अन्य राजकीय विभागों में कार्यरत छात्रावास अधीक्षकों का चयन करने के लिये वॉक-इन-इन्टरव्यू (साक्षात्कार) निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित तिथि व स्थान पर आयोजित किये जाने हैं तथा रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

आवासीय विद्यालय (बालिका)												पद हेतु योग्यता	साक्षात्कार दिनांक एवं समय	साक्षात्कार स्थल :- निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर, जे. एल.एन मार्ग, जयपुर
क्र.सं.	आवासीय विद्यालय का नाम व स्थान	प्रधानाध्यापक	अध्यापक L2 हिन्दी	अध्यापक L2 अंग्रेजी	अध्यापक L2 गणित	अध्यापक L2 विज्ञान	अध्यापक L2 सा.वि.	अध्यापक L2 उर्दू	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	छात्रावास अधीक्षक	कुल पद			
1	तिजारा, अलवर	01	01	01	01	01	01	01	01	01	09	<ul style="list-style-type: none"> प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका हेतु :- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका अथवा माध्यमिक शिक्षा में द्वितीय श्रेणी शिक्षक के रूप में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक 	20.06.22 प्रातः 11:00 बजे	
2	अर्भे का पार, रामसर, बाड़मेर	01	01	01	01	01	01	01	01	01	09			
3	उदयपुर शहर	-	01	-	01	-	-	-	-	01	03			
4	सीकर शहर	-	-	-	-	-	-	-	-	01	01			
5	चौहटन, बाड़मेर	-	01	01	01	-	-	-	01	01	05			
6	कन्चननेर भरतपुर	01	-	01	01	01	01	01	01	01	08			
7	नन्देरा, भरतपुर	01	01	01	01	01	01	01	01	01	09			
आवासीय विद्यालय (बालक)												<ul style="list-style-type: none"> विषय अध्यापक लेवल-2 हेतु :- प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में संबंधित विषय के विषय अध्यापक के रूप में कार्यरत वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक छात्रावास अधीक्षक हेतु :- राजकीय विभागों में छात्रावास अधीक्षक के समान पद पर कार्यरत 	21.06.22 प्रातः 11:00 बजे	निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर, जे. एल.एन मार्ग, जयपुर
08	चूरु शहर	01	01	01	01	01	01	01	01	01	09			
09	नागौर शहर	01	01	01	01	01	01	01	01	01	09			
10	फतेहपुर, सीकर	01	01	01	01	01	01	01	01	01	09			
11	घड़साना, श्रीगंगानगर	01	01	01	01	01	01	01	01	01	09			
12	सवाई माधोपुर	01	01	01	01	01	01	01	01	01	09			
13	सम, जैसलमेर	01	01	01	01	01	01	01	01	01	09			
14	मसूदा, अजमेर	-	-	-	-	-	-	01	-	01	02			
15	भणियाना जैसलमेर	-	-	01	01	01	-	-	-	-	03			
कुल पद		10	11	12	13	11	10	11	11	14	103			

निदेशालय,

16	राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	छात्रावास अधीक्षक (पुरुष) :- प्रत्येक छात्रावास में एक-एक पद (कुल पद 31) मसूदा (अजमेर), अलवर (शहर), तिजारा, लक्ष्मणगढ़, उमरैन (अलवर), बाड़मेर (शहर), गडरासोड (शिव), चौहटन (बाड़मेर), नगर, कामां, पहाडी (कामां) (भरतपुर), बुरु (शहर), धौलपुर (शहर), सम, पोकरण ब्लॉक सांकडा (जैसलमेर), झुन्झुनु (शहर), जयपुर (शहर), जोधपुर (शहर), फलीदी (जोधपुर), कोटा (शहर), बासनी बेलिमा, मकराना, लाडनू (नागौर), माली (शहर), फतेहपुर (सीकर), सवाईमाधोपुर (शहर), गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर), श्रीगंगानगर (शहर), रायसिंहनगर, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर), टोंक (शहर)।	राजकीय विभागों में छात्रावास अधीक्षक के समान पद (लेवल-5) पर कार्यरत	22.06.22 प्रातः 11:00 बजे	निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर, जे. एल.एन मार्ग, जयपुर
17	राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास	छात्रावास अधीक्षक (महिला):- प्रत्येक छात्रावास में एक-एक पद (कुल पद 18) अजमेर (शहर), अलवर (शहर) (02 पद), रामगढ़, तिजारा, किशनगढ़वास, लक्ष्मणगढ़ (अलवर), बाड़मेर (शहर), कामां, नगर, नगर, (सीकरी) (भरतपुर), भीलवाड़ा (शहर), दौसा (शहर), सम (जैसलमेर), नागौर (शहर), कोटा (शहर), घड़साना (श्रीगंगानगर)।			

- बालिका आवासीय विद्यालयों/बालिका छात्रावासों के लिये केवल महिला शिक्षक/महिला छात्रावास अधीक्षक ही आवेदन करें। तथा बालक छात्रावासों के लिये केवल पुरुष कार्मिक ही पात्र होंगे।
- वॉक-इन-इन्टरव्यू (साक्षात्कार) हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप तथा इस संबंध में विस्तृत एवं अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट <http://minority.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड/प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप में भरे हुये आवेदन पत्र व आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे।


 जमील अहमद कुरैशी
 (निदेशक)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज0

आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र 2022-23

रजि. नं. (कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदित आवासीय विद्यालय का नाम.....

प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदित पद.....

विषय.....

1. कार्मिक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. वर्तमान में धारित पद.....
(यदि धारित पद मूल पद से भिन्न हो तो उसका भी अंकन आवश्यक रूप से किया जायें)
(अ) धारित पद..... (ब) मूल पद
4. जन्म तिथि.....
5. गृह जिला.....
6. पता.....
7. एम्पलॉय आई.डी.
8. मोबाइल नं. एवं ई-मेल आई डी.....
9. वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय/कार्यालय का नाम.....
10. पे लेवल.....
11. आवेदक का वर्तमान पता.....
12. शिक्षा निदेशालय का नाम यथा- माध्यमिक/प्रारंभिक.....
13. राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक.....
14. सेवानिवृत्त तिथि.....
15. दिनांक 31.03.2022 को आयु.....
16. शैक्षणिक योग्यता

क्र.सं	परीक्षा का नाम	विषय	प्राप्तांको का प्रतिशत	श्रेणी	संलग्नक संख्या
1	सैकेण्डरी/समकक्ष				
2	हायर/सीनियर सैकेण्डरी				
3	स्नातक				
4	अधिस्नातक				

17. प्रशैक्षणिक योग्यता :-

क्र.सं	परीक्षा का नाम	प्राप्तांको का प्रतिशत		श्रेणी	संलग्नक संख्या
		सैद्धान्तिक	प्रायोगिक		
1	बी.एड. (शिक्षा में स्नातक)				
2	एम.एड				

18. सेवानियमों का नाम, जिनके अन्तर्गत वर्तमान में आप नियुक्त हैं:

19. सेवा संबंधी विवरण (सम्पूर्ण सेवाकाल का प्रथम तिथि से अब तक)

क्र.सं	पद	वेतन श्रृंखला	पदस्थापित स्थान	ग्रामीण / शहरी	अवधि	
					कब से	कब तक

20. आवेदित पद हेतु विज्ञापन में अंकित शर्त अनुसार : वर्ष..... माह..... दिन.....

वांछित पद पर दिनांक 31.05.2022 तक कुल अनुभव

21. परियोजना में कार्य करने का अनुभव

(शिक्षाकर्मी / लोजुप / जनशाला / डीपीईपी / एसएसए / केजीबीवी).....

पद.....

कब से कब तक.....

22. पदस्थापन हेतु इच्छित राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय.....

प्राथमिकता के आधार पर : 1..... 2.....

23. पुरस्कार (शैक्षिक परिक्षेत्र में जिला, संभाग, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर) : (संलग्नक-)

24. अन्य विशिष्ट उपलब्धियां

शपथ पत्र

- मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही है। मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है।
- मेरी सेवा अवधि में मुझे अब तक राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत किसी प्रकार के दण्डित नहीं किया गया है तथा न ही मेरे विरुद्ध उक्त नियमों के तहत किसी प्रकार की जांच लम्बित है।

हस्ताक्षर

नाम :-

पद :-

पदस्थापित स्थान :-

मोबाइल नं. :-

बिन्दु संख्या 1 से 20 में अंकित प्रविष्टियों को मूल दस्तावेजों से मिलान कर लिया गया है। शेष प्रविष्टियां अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित की गई हैं।

प्रभारी के हस्ताक्षर

प्रभारी का नाम.....

दिनांक :

स्थान :

राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों (प्रधानाध्यापक, अध्यापक / अध्यापिका लेवल-2, वरिष्ठ / कनिष्ठ सहायक, छात्रावास अधीक्षक) के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिये साक्षात्कार हेतु आवश्यक मानदण्ड / दिशा-निर्देश

1. अभ्यर्थी आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट <http://minority.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं। अथवा निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर से प्राप्त कर सकते हैं।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम प्रतिनियुक्ति हेतु मान्य होंगे।
3. प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात् पुनः प्रतिनियुक्ति से पूर्व मूल विभाग में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है।
4. अभ्यर्थी के खिलाफ वर्तमान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित / लम्बित नहीं होनी चाहिए।
5. राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2011 के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।
6. आवेदन पत्र पूर्णतया भरकर अपने हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साईज का फोटो चिपका कर साक्षात्कार स्थल पर साक्षात्कार वाले दिन प्रातः 11.00 बजे अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर जमा करवाना होगा। 12.00 बजे बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि, योग्यता (शैक्षिक / प्रशैक्षिक), सेवा, अन्य गतिविधि आदि से सम्बन्धित सभी दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ लगानी होंगी।
8. अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज लेकर आना होगा। मूल दस्तावेजों के अभाव में साक्षात्कार निरस्त कर दिया जायेगा।
9. आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार समिति द्वारा किया जायेगा।
10. आवेदन पत्र में अथवा संलग्न दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज में किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी का चयन किसी भी समय निरस्त कर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
11. किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद होने की स्थिति में क्षेत्राधिकार जयपुर जिले के न्यायिक क्षेत्र में होगा।
12. साक्षात्कार के लिये आने वाले अभ्यर्थियों को इस विभाग से किसी प्रकार का यात्रा व दैनिक भत्ता / उपस्थिति प्रमाण-पत्र देय नहीं होगा।
13. निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर के पास रिक्त पदों की संख्या में कमी / वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
14. राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति के लिए किसी भी जिले (प्रतिबन्धित जिलों को सम्मिलित करते हुए) में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिका इच्छित जिलों के राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में 4 वर्ष की अवधि के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जायेगा। 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति उपरान्त 1 वर्ष सेवा में विस्तार किया जा सकेगा।
15. निरन्तर एवं संतोषजनक आवासीय प्रतिनियुक्ति अवधि 4 वर्ष पूर्ण करने पर पात्र शिक्षक-शिक्षिकाओं को निर्धारित प्रपत्र 'अ' व 'ब' में निरन्तर एवं संतोषजनक आवासीय सेवा पूर्ण करने का प्रपत्र प्रस्तुत करने पर निदेशक, प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को इच्छित जिला आवंटन किये जाने की अभिशंका कर कार्यमुक्त किया जावेगा। प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक-शिक्षिकाओं को मूल जिले में भेजे जाने का समस्त अधिकार संबंधित शिक्षा विभाग के पास ही होगा।

16. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर द्वारा पारित समस्त निर्देशों एवं अपेक्षित समस्त दायित्व का निर्वहन करना होगा।
17. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं जो आवासीय सेवाएं दे रहे हैं, को विद्यालय पंचाग अथवा विभाग के निर्देशानुसार दीर्घकालीन अवकाश (ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन एवं मध्यावधि अवकाश) देय होंगे।
18. प्रतिनियुक्त शिक्षक-शिक्षिका एक माह में रविवार सहित अधिकतम दो दिवस के राजपत्रित अवकाश का उपभोग कर सकेंगे। इस अवकाश उपभोग की पूर्व शर्त होगी कि वार्डन एवं सह-वार्डन एवं विद्यालयों में समस्त शिक्षक-शिक्षिका एक साथ अवकाश नहीं ले सकेंगी।
19. राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार अल्पसंख्यक मामलात विभाग का होगा।
20. शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता, अनुभव व अन्य गतिविधियों के लिये 30 अंक तथा साक्षात्कार के लिये 20 अंक का निर्धारण किया गया है।

क्र. सं.	शैक्षिक/प्रशैक्षिक व अन्य योग्यता	निर्धारण किये गए अंक		
		प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	सैकेण्डरी/समकक्ष	5	3	1
2	हायर/सीनियर सैकेण्डरी	5	3	1
3	स्नातक	5	3	1
4	अधिस्नातक	5	3	1
5	बी.एड/एम.एड/पी.एच.डी समकक्ष	5	3	1
6	पुरस्कार	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर	जिला स्तर
		5	4	3
	योग	30		
	साक्षात्कार का अंक	20		
	कुल योग	50		

नोट:-अन्य विस्तृत जानकारी के लिए निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबसाइट

<http://minority.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।